न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/4300/2001/बारां

1– बजरंगलाल पुत्र भीमड़ा जाति मीणा

2– दुलीचंद पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा

3– रामहेत पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा

4– हेमराज वल्द बजरंगलाल जाति मीणा

5– हरिशंकर पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा

3 लगायत 5 नाबालिग व विलायत गोपालीबाई बेवा बजरंगलाल मीणा, निवासीगण पिपल्दाकलां तहसील किशनगंज, जिला बारां।

–अपीलांटस

बनाम

1– भंवरलाल पुत्र दुर्गाशंकर

2– दुर्गाशंकर पुत्र भीमडा

3– रामगोपाल वल्द भीमडा

4– रमेशचन्द पुत्र भीमडा

जाति मीणा निवासी बृजनगर तहसील किशनगंज जिला बारां।

5– बालकृष्ण मुबबन्ना दुर्गाशंकर जाति ब्राह्मण निवासी मोखापाडा, कोटा

6– राजस्थान सरकार

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः–

श्री ओ0पी0 भट्ट, अधिवक्ता अपीलांटस।

श्री माधवराज सिंह एवं श्री कुलदीप मीणा, अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय

दिनांकः— 06.11.2025

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 370/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने रेस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अतंर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वाकै ग्राम माधोपुरा के माल में आराजी खसरा संख्या 40 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा तथा खसरा संख्या 61 रकबा 11 बीघा स्थित है तथा उक्त आराजीयात माफीयात थी तथा दुर्गाशंकर व छोगालाल की खातेदारी में दर्ज थी। अब खालसा हो चुकी है तथा विवादग्रस्त आराजीयात का बैचान संवत् 2020 को छोगालाल सहखातेदार ने बहक वादी संख्या 1 को किया था। वादी इन आराजीयात पर संवत् 2020 से ही निरंतर आज तक इकरारनामें की पालना के आधार पर काबिज चला आ रहा है तथा 12 वर्ष से अधिक अवधि का कब्जा होने के कारण एडवर्स पजेशन के कारण वे खातेदार हो चुके है। समस्त प्रतिवादीगण मिलकर वादी को उक्त आराजीयात से बेदखल करने व कब्जा करने की धमकी देने के कारण वाद का कारण उत्पन्न होने पर घोषणात्मक व अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त आशय का वाद पेश होने पर विचारण न्यायालय ने वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी ने जवाब पेश कर वाद कथनों से इंकार करते हुए वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2001 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद स्वीकार किया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2001 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2001 को निरस्त किया तथा वर्तमान रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत

वाद संख्या 51/2000 को डिक्री किया गया । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के अनुसार निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलीय न्यायालय ने अपीलांटस के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किए जाने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण किए बिना ही विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किए जाने में कानूनी त्रुटि कारित की है। विवादग्रस्त आराजी छोगा की थी, इसी का बेचान वादीगण को किया था जो पूर्णतया साबित है। तनकी संख्या 4 विचारण न्यायालय ने वादी/अपीलांट के पक्ष में सही रूप से तय की थी, जिसे परिवर्तित करने में अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। तनकी संख्या 1 ठोस आधार पर वादीगण के पक्ष में तय की है, कब्जा छोगा द्वारा एक्जी.पी. 7 तहरीर के जरिए वादीगण का संवत् 2020 में प्राप्त हुआ है, तब से लगातार कब्जे में है। कब्जे बाबत् प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2001 को निरस्त किया जावें तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2001 को यथावत् रखा जावें।

5— विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । बहस में आगे तर्क दिया कि रेस्पो0 दुर्गाशंकर ने आराजी खसरा नंबर 61 की 11 बीघा भूमि 80,000/–रू0 में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.04.1991 को क्रय करके कब्जा प्राप्त किया है । इसी प्रकार रेस्पो0/प्रतिवादी भीमड़ा ने आराजी खसरा नंबर 40 की रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा भूमि बिल एवज 1,43,000/–रू0 में अपने पुत्र रामगोपाल उर्फ रामगोपाल तथा रमेशचंद के नाम जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.04.1991 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । उक्त

विक्रय पत्रों के क्रम में खसरा नंबर 61 रकबा 11 बीघा का जरिये इंतकाल संख्या 94 तथा खसरा नंबर 40 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा का जरिये इंतकाल संख्या 93 क्रेतागण के नाम अंकन होकर राजस्व रिकार्ड में इंद्राज हो चुका है। उक्त विक्रयपत्रों को निरस्त कराये बिना अपीलांटस/वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है तथा ना ही राजस्व न्यायालय को पंजीकृत विक्रय पत्रों को निरस्त करने का अधिकार है । विचारण न्यायालय ने एक्जी0पी0–7 जो एक अपंजीकृत दस्तावेज है, के आधार पर वाद डिक्री किया है जबकि अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है । इसके विपरीत रेस्पो0 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र पंजीकृत दस्तावेजात है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित अविधिक निर्णय व डिक्री को निरसत करते हुए रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 51/2000 निरस्त किया है, जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस/वादीगण ने अदालत परगना अधिकारी, शाहाबाद कैम्प किशनगंज के समक्ष विवादित आराजियात बाबत् वर्तमान रेस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 40 व 61 कुल रकबा 30 बीघा 12 बिस्वा का बैचान/सौदा छोगालाल सहखातेदार ने वादी संख्या 1 के पक्ष में में किया था तब से काबिज काश्त है किन्तु प्रतिवादीगण वादी को क्रयशुदा आराजी से बेदखल करना चाहते है । अतः वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण ने प्रतिवाद पेश कर कथन किया कि प्रतिपक्षी दुर्गाशंकर ने आराजी खसरा नंबर 61 की 11 बीघा भूमि बिल एवज 80,000/–रू0 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 25.04.1991 को क्रय कब्जा प्राप्त किया था । इसी प्रकार प्रतिवादी भीमडा ने आराजी खसरा नंबर 40 की रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा भूमि बिल एवज 1,43,000/–रू0 में अपने पुत्र रामगोप उर्फ रामगोपाल तथा

रमेशचंद के नाम जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.04.1991 को क्रय कर कब्जा प्राप्त यिका था तब से काबिज काश्त है । विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं प्रतिवाद के आधार पर कुल 8 तनकीयात कायम कर अपीलांटस/वादीगण का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2001 के द्वारा डिक्री किया है । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रथम अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 19.06.2001 को रेस्पो0/प्रतिवादीगण की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए रेस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 51/2000 स्वीकार करते हुए वर्तमान अपीलांटस/वादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है ।

8— इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस/वादीगण ने एक्जी0पी0—7 के आधार पर विवादित आराजियात क्रय करने के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा का अनुतोष चाहा है । विधिनुसार अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वादीगण को कोई विधिक हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । इसके विपरीत प्रतिवादी/रेस्पो0 दुर्गाशंकर ने आराजी खसरा नंबर 61 की 11 बीघा भूमि 80,000/—रू0 में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.04.1991 को क्रय करके कब्जा प्राप्त किया है । इसी प्रकार रेस्पो0/प्रतिवादी भीमड़ा ने आराजी खसरा नंबर 40 की रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा भूमि बिल एवज 1,43,000/—रू0 में अपने पुत्र रामगोपाल उर्फ रामगोपाल तथा रमेशचंद के नाम जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.04.1991 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । उक्त विक्रय पत्रों के क्रम में खसरा नंबर 61 रकबा 11 बीघा का जरिये इंतकाल संख्या 94 तथा खसरा नंबर 40 रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा का जरिये इंतकाल संख्या 93 क्रेतागण के नाम अंकन होकर राजस्व रिकार्ड में इंद्राज हो चुका है। उक्त विक्रय पत्र आदिनांक तक प्रभाव में है । उपरोक्त तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध थे, इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने केवल मात्र एक्जी0पी0—7 जो एक अपंजीकृत दस्तावेज है, के आधार पर अपीलांटस/वादीगण का वाद डिक्री किया है जिसे विधिसम्मत् निर्णय नहीं माना जा सकता है । इसी आधार पर राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2001 को निरस्त

किया है तथा प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 51/2000 को डिक्री कर वादीगण/अपीलांटस को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य पायी जाती है ।

9— परिणामतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2001 यथावत् रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य